प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 154/2025)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने 'निर्यात प्रयोजनों के लिए एम2एम/ आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ईसिम कार्ड की बिक्री के लिए नियामक ढांचा' पर अनुशंसाएँ जारी की।

नई दिल्ली, 30 दिसंबर 2025 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज **'निर्यात प्रयोजनों के लिए एम2एम/ आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ईसिम कार्ड की बिक्री के लिए नियामक ढांचा'** पर अनुशंसाएँ जारी की हैं।

2. दूरसंचार विभाग, दूरसंचार मंत्रालय, भारत सरकार, ने भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11(1)(अ) के तहत अपने पत्र दिनांक 17.09.2024 के माध्यम से, भादूविप्रा से निर्यात प्रयोजन के लिए एम2एम/आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ईसिम कार्डों के आयात/बिक्री के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने और नवीनीकरण के लिए नियमों और शर्तों पर अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था।

3. इस संबंध में भादूविप्रा ने 04.07.2025 को हितधारकों से टिप्पणी और जवाबी टिप्पणी मांगने के लिए 'निर्यात प्रयोजनों के लिए एम2एम/ आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ईसिम कार्ड की बिक्री के लिए नियामक ढांचा' पर एक परामर्श पत्र जारी किया। इसके जवाब में भादूविप्रा को हितधारकों से नौ टिप्पणियां मिली। परामर्श पत्र पर एक ओपन हाउस चर्चा 25.09.2025 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई।

4. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर भादूविप्रा ने 'निर्यात प्रयोजनों के लिए एम2एम/ आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ईसिम कार्ड की बिक्री के लिए नियामक ढांचा' पर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया है।

5. मशीन-टू-मशीन (एम2एम) कम्युनिकेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) मिलकर एनर्जी ग्रिड, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वॉटर सप्लाई नेटवर्क और एग्रीकल्चर जैसे इंडस्ट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर के परिदृष्य को आकार दे रहे हैं। एम2एम/ आईओटी उपकरण (जैसे स्मार्ट मीटर, कनेक्टेड कार, इंडस्ट्रियल सेंसर) बनाने वाले भारतीय निर्माताओं को अक्सर विदेशी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के सिम/ईसिम कार्ड लगाने पड़ते हैं ताकि उपकरण गंतव्य देश में बिना किसी रुकावट के काम कर सकें। फिलहाल, देश में निर्यात के लिए बनाए गए एम2एम/ आईओटी उपकरण के लिए विदेशी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के सिम/ईसिम कार्ड की बिक्री के लिए कोई नियामक ढांचा नहीं है। भारतीय निर्माताओं को निर्यात के लिए बनाए गए एम2एम/आईओटी उपकरणों में विदेशी टेलीकॉम सर्विस प्रोवइडर्स के सिम/ईसिम कार्ड लगाने के लिए एक समर्थकारी नियामक ढांचे की आवश्यकता है जो कि सुरक्षा चिंताओं को ध्यान रखते हुए नियामक अनुकूलन और आसान निर्यात संचालन को सुनिश्चित कर सके।

6. भादूविप्रा की अनुशंसाओं की मुख्य बातें:

क) निर्यात के लिए बनाए गए एम2एम/ आईओटी उपकरणों में इस्तेमाल के लिए विदेशी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के सिम/ईसिम कार्ड की बिक्री को टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट, 2023 के तहत एक लाइट-टच सर्विस ऑथराइजेशन के ज़रिए विनियमित किया जाना चाहिए। इस नए सर्विस ऑथराइजेशन को "इंटरनेशनल एम2एम सिम सर्विस ऑथराइजेशन" कहा जाना चाहिए।

ख) इंटरनेशनल एम2एम सिम सर्विस ऑथराइजेशन ऑनलाइन दिया जाना चाहिए, जो डिजिटली साइन किया हुआ ऑटो-जेनरेटेड ऑथराइजेशन हो।

ग) इंडियन कंपनीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी इंटरनेशनल एम2एम सिम सर्विस ऑथराइजेशन पाने के लिए पात्र होनी चाहिए। ऑथराइजेशन के लिए एंट्री फीस, मिनिमम इक्विटी, मिनिमम नेट-वर्थ, बैंक गारंटी और ऑथराइजेशन फीस शून्य होनी चाहिए। ऑथराइजेशन के लिए 5,000 रुपये की एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस होनी चाहिए। ऑथराइजेशन का वैलिडिटी पीरियड 10 साल होनी चाहिए।

घ) परीक्षण के प्रयोजन से विदेशी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के सिम/ईसिम कार्ड को भारत में ज़्यादा से ज़्यादा छह महीने की अवधि के लिए एक्टिवेट करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ङ) एम2एम/ आईओटी खंड में काम करने वाले भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए बाज़ार की संभावनाओं को खोलने के प्रयोजन से भादूविप्रा ने सिफारिश की है कि दूरसंचार

विभाग को केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों (वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय आदि) के साथ समन्वय करना चाहिए ताकि निर्यात के लिए एम2एम/ आईओटी उपकरण में इस्तेमाल के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ईसिम कार्ड के आयात, और आयात के लिए एम2एम/ आईओटी उपकरण में इस्तेमाल के लिए भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ईसिम कार्ड के निर्यात को सक्षम करने के लिए एक स्पष्ट नियामक ढांचा बनाया जा सके।

7. भादूविप्रा की ये अनुशंसाएं सरकार के "मेक इन इंडिया" पहल को प्रोत्साहित करेंगी, जिससे वैश्विक बाजार के लिए स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। भादूविप्रा द्वारा सुझाया गया इंटरनेशनल एम2एम सिम सर्विस ऑथराइजेशन का नियामक ढांचा एम2एम क्षमता वाले भारतीय उत्पादों को दुनिया भर में और ज़्यादा आकर्षक बनाएगा। इससे भारतीय कंपनियों को आईओटी/एम2एम बाज़ार में पहले से मौजूद ग्लोबल कंपनियों के साथ मुकाबला करने में मदद मिलेगी।

8. अनुशंसाओं को भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर रखा गया है। स्पष्टीकरण/ सूचना के लिए, यदि कोई हो, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा, से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है या advmn@trai.gov.in पर ईमेल किया जा सकता है।

अतुल चौधरी

30/12/25

(अतुल कुमार चौधरी)

सचिव, भादूविप्रा